सुखाराम व अन्य बनाम घासीराम व अन्य

/एलआर/2022/112

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी0 अधि0 :– श्री हेमसिंह राठौड रेसपो0 अधि0 : श्री लेखू मंघानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता श्री हेमसिंह राठौड उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता श्री लेखू मंघानी एवं रेस्पोडेन्टसंख्या 02 के राजकीय अधिवक्ता उपस्थित है। इन्हे प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 11.10.2022 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांकित 12.04.2022 पर सुना गया। श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 11.10.2022 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांकित 12.04.2022 पर निर्णयार्थ रिजर्व रखी जाती है। संभागीय आयुक्त अजमेर	
20.02.2023	पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 11.10.2022 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांकित 12.04.2022 पर निर्णायार्थ पेश हुई। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता श्री लेखू मंघानी ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 11.10.2022 की बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, नेड़ता के निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 4180 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 5217/5184 का भूमि रूपांतरण औद्योगिक किये जाने के आदेश दिनांक 04.02.2022 को पारित किये जा चुके है, इसलिए प्रस्तुत अपील में जो भूमि विवादित है, वह "कृषि भूमि" नहीं रही। माननीय न्यायालय को "कृषि भूमि" से सम्बन्धित विवाद को निपटाने का अधिकार है, चूंकि भूमि औद्योगिक हो गई है। अपीलांट को भू–रूपांतरण आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 11.10.2022 स्वीकार किया जाकर अपील अपील श्रवण योग्य नही होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे (1) परिपत्र 95/PS/S/ UDH/90/31-1-990 (2) गोपाल बनाम दुर्गाप्रसाद WLN 1973 पृष्ठ 67 (3) RRT 2007 (1) पृष्ठ 3 (4) RRT 2010 (1) पृष्ठ 557 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडैन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत का समर्थन कर निवेदन किया कि प्रकरण	

Scanned with CamScanner

सुखाराम व अन्य बनाम घासीराम व अन्य

अपील/एलआर/2022/112

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपी0 अधि0 :– श्री हेमसिंह राठौड

रेस्पो0 अधि0 : श्री लेखू संघानी

में विवादित भूमि खसरा नम्बर 4180 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 5217/5184 का भूमि रूपांतरण औद्योगिक भूमि मे होने से विवादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 05(24) के तहत कृषि भूमि नही रही है। अपीलांट को भू–रूपांतरण आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिए।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा की गई बहस के जवाब मे अपीलान्ट अधिवक्ता श्री हेमसिंह राठौड ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता निर्णय दिनांक 17.11.2021 के तहत प्रस्तुत की गई जिसका क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत का खारिज किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने का निवेंदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांकित 12.04.2022 पर निर्णय दिये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत दिनांकित 11.10.2022 पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। उभयपक्ष अभिभाषक की प्रार्थना पत्र पर सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश के विवादित भूमि खसरा नम्बर 4180 रकबा 1 हैक्टेयर भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 5217/5184 का कृषि भूमि से भूमि रूपांतरण औद्योगिक किये जाने के आदेश दिनांक 04.02.2022 को पारित किये जा चुके है, ऐसे स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी मेडता के निर्णय दिनांक 17.11.2021 का कोई वजूद नही रहा है क्योंकि इसका रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी मेडता के आदेश दिनांक 04.02.2022 के द्वारा कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि मे होने से विवादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 05 (24) के तहत कृषि भूमि की परिधी में नही है। कृषि भूमि से सम्बन्धित विवाद के प्रकरणो में ही न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती। इस बाबत रेस्पो अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रूलिंग पेश की गई जो इस प्रकरण मे चस्पा होती है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अपील श्रवण योग्य नही होने बाबत स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2021 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे नही होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

2532
13.4.23

Scanned with CamScanner